INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

छत्तीसगढ़ में बालक न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया शुरू - राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आभार व्यक्त किया

By : INVC Team Published On : 7 Feb, 2013 07:00 PM IST

आई एन वी सी,, रायपुर,, छत्तीसगढ़ में बालक न्यायालयों के गठन का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। अब बच्चों के प्रति अपराध होने पर ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई विशेष बालक न्यायालयों में हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि गत दो फरवरी को आयोजित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत बालक न्यायालय के गठन की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में स्थापित और पुर्नगठित किया जा सकेगा। इस निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री यशवंत जैन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के रजिस्टार को आभार पत्र भी प्रेषित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन तथा उच्च न्यायालय से बालक न्यायालय के गठन के संबंध में अनुरोध किया गया था। आयोग द्वारा इन न्यायालयों हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति/अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के फुल कार्ट की बैठक में हुए अनुमोदन से अब प्रदेश में बालक न्यायालयों के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बच्चों के प्रति अपराध होने पर ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई विशेष बालक न्यायालयों में हो सकेगी।

URL : https://www.internationalnewsandviews.com/छत्तीसगढ़-में-बालक-न्याय/

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.